भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 665
गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/ 7अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

निःशक्त व्यक्तियों को विमानों में सवार होने से मना किया जाना

665. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान निःशक्त व्यक्तियों को विमानों में सवार होने से मना किए जाने के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ख) उक्त मना किए जाने के लिए विमान कंपनियों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विमान कर्मचारियों को उनके साथ विमान यात्रा करने वाले निःशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं और कारणों के प्रति संवेदनशील बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुआवजा शुरू करने का है जिन्हें विमान में चढ़ने से मना कर दिया गया है अथवा विमानों में चढ़ते समय उनकी निःशक्तता के कारण जांच की गई है और अपमान का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): पिछले 5 वर्षों में, दिनांक 07 मई 2022 को रांची से हैदराबाद उड़ान में एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विमान में प्रवेश से मना करने की एक घटना हुई है। उक्त घटना के बारे में जांच करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा गठित तथ्य-खोजी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, एयरलाइन पर 5,00,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

(ग) और (घ): निःशक्त या कम गतिशीलता वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें हवाई यात्रा के दौरान हर संभव सहायता मिले,डीजीसीए ने "निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों का हवाई मार्ग द्वारा कैरिज" शीर्षक वाली नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड 3, श्रृंखला एम, भाग-I जारी की है।

उपर्युक्त सीएआर में विनिर्दिष्ट प्रावधान के तहत,हवाईअड्डे पर सभी एयरलाइनें, हवाईअड्डा प्रचालक, सुरक्षा, सीमा शुल्क और आव्रजन ब्यूरो संगठन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार, निःशक्त (दिव्यांगजन) या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए यात्री सेवाओं में लगे सभी कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

******